"कृषि विकास हेतु म.प्र. शासन द्वारा अनुदान योजनाओ का योगदान"

(देवास जिले के विशेष संदर्भ में)

आकांक्षा देशमुख
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)

डॉ. राकेश महाजन
प्राध्यापक (वाणिज्य)

शास.महाविद्यालय, सोनकच्छ (म.प्र.)

प्रस्तावना :–

कृषि एक मुख्य विकास था, जो सभ्यताओं के उदय का कारण बना, इसमें पौधों (फसलों) को उगाया गया और पालतु जानवरो का पालन किया गया। जिससे अतिरिक्त खाद्य का उत्पादन हुआ इसने अधिक धनी आबादी और स्तरीकृत समाज के विकास को सक्षम बनाया। कृषि का अध्ययन कृषि विज्ञान के रूप में जाना जाता है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में कृषि सिंधु घाटी सभ्यता के दौर से की जाती रही है। 1960 के बाद कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांती के साथ नया दौर आया। कृषिगत उत्पादन के संदर्भ में भारत वेश्विक स्तर पर दुसरे सीान पर है। स्वतंत्रता के 73 साल बाद भी देश 58% से ज्यादा आबादी जीविका उपार्जन हेतु कृषि पर निर्भर है। कृषि के अंतर्गत तकनीको और विशेषताओं की बहुत सी किस्में आती है। इसमें वे सभी तरिके शामिल है। जिसमें पौधे उगाने के लिए उपयुक्त एवं उपजाऊ भूमि का विस्तार किया जाता है। इसके लिए पानी के चेनल खोदे जाते है और सिंचाई के लिए अन्य रूपो जैसे– तालाब, नहरे, झरने, कुंए आदि का उपयोग किया जाता है। कृषि योग्य भूमि पर फसल को उगाना और चारागाहो पर पशुधन को गडरियो के द्वारा चलाया जाना मुख्यतः कृषि से सम्बंधित रहा है।

म.प्र. में कृषि :–

म.प्र. में कृषि एवं कृषको दोनो की स्थिति दयनिय है किसानों की आत्महत्याऐं की खबरे आएं दिन सुनने में आती रही है। कृषको एवं कृषि की स्थिति में सुधार लाने के लिए शासन ने कई योजनाए एवं प्रावधान बनाये है। जिसमें कृषको की समस्याओ का समाधान हो सके एवं कृषि की स्थिति में सुधार हो सके। जिसके फलस्वरूप किसाने आत्महत्याऐं न करे। म.प्र. राज्य की सरकार ने पूरे राज्य में कृषकों के कल्यान और कृषि के क्षेत्र में बेहतर भविष्य की संभावनाओं के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सी योजनाए शुरू की है। कृषि विकास

कार्यक्रमों एवं नीतियों के उद्देश्यो को मूर्तरूप प्रदान करने के लिए बहुयामी उपाय सुझाए गये है। जो ना केवल भारतीय परिस्थिति और अर्थव्यवस्था के अनुकुल है इसी प्रकार कृषि विपणन को सुविधाजनक बनाने हेतु मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनेक योजनाऐ संचालित की जा रही है।

म.प्र. में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि के लिए प्रयास किए जा रहे जो खादो और उर्वरक के उपयोग की पहली शर्त है इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित अग्रिम खाद भण्डार योजना के अंतर्गत प्राथमिक कृषि सहकारिता समितियों तक सही समय पर खाद्यो का पहुंचना सुनिश्चित किया जा रहा है।

उर्वरक की खपत

वर्ष	उर्वरक खपत किलोग्राम / हेक्टेयर
2001–02	40.35
2009–10	77.21
2010–11	89.19
2011–12	88.28
2012–13	89.43
2013–14	90.21
2014–15	92.33
2015–16	92.57
2016–17	93.55
2017–18	96.11
2018–19	98.23

स्त्रोत :– म.प्र. का आर्थिक सर्वेक्षण 2018–19, आर्थिक एवं साख्यिकी संचालनालय म.प्र. भोपाल

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2001–02 में उर्वरक की खपत 40. 35 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। वर्ष 2018–19 में 98.23 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गया। वर्ष 2001–02 की तुलना में वर्ष 2018–19 में 57.88 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की वृद्धि हुई।

शोध अध्ययन का क्षेत्र :–

देवास जिले का गठन मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की तरह 1 नवम्बर 1956 में हुआ। वर्तमान में देवास जिले में 8 तहसीले और 6 विकासखण्ड है। देवास जिला कृषि एवं वन सम्पदा के साथ औद्योगिक परिवेश में भी महत्वपूर्ण है। विकास की दृष्टि से देवास जिला मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित पिछड़े जिले की 'स' श्रेणी में आता है। वर्ष 2011 की जनगणनो के अनुसार जिले की कृल जनसंख्या का लगभग 71.10 प्रतिषत जनसंख्या गावों में निवास करती है। जिले में उपलब्ध संसाधनो के आधार पर विकास की प्रबल सम्भावनाएं विद्यमान है इस हेतु सरकार की नीतियों, प्रोत्साहन एवं उपलब्ध संसाधनो के आधार पर विकास की नीतियो, प्रोत्साहन एवं उपलब्ध मूलभूत सुविधाओ का विशेष महत्व है।

प्रस्तुत क्षेत्र मे धरातलीय विभिन्नताएं है वास्तव में यह क्षेत्र पर्वत श्रेणीयों, मैदान एवं नदी घाटी इन सभी का मिला–जुला स्वरूप है। भौतिक रूप से इस क्षेत्र में चार प्राकृतिक विभाग है।

1. देवास पठार
2. काली सिंध बेसिन
3. विंध्य रेंज
4. मध्य नर्मदा घाटी

सरकार द्वारा संचालित अनुदान योजनाएं :–

1. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तिलहन :–

सुरक्षा मिशन (NFSM) के तहत चावल, गेंहू और दलहन के बाद अब तिलहनो की पैदावार बढ़ाने पर जोर देगी। केन्द्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षिय योजना में NFSM में नेशनल

मिशन ऑयल सीड ऑयल पाम को भी शामिल कर लिया है। NFSM के तहत चयनित किए गए जिलों में किसानों को तिलहनो के प्रमाणित बीजो का वितरण किया जायेगा जिससे प्रति हेक्टेयर पैदावार में बढ़ोतरी होगी। 12वीं पंचवर्षिय योजना में NFSM के तहत कुल 12350 करोड रूप्ये का आवंटन किया गया है। तिलहनो की प्रमुख फसल मूंगफली में सीड रिप्लेसमेंट की दर लगातार बढ़ रही है तथा चालू खरीफ में बढ़कर 33–34 फीसदी हो गई।

योजना	घटक	
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	प्रजनक बीज	शासन निर्देशानुसार
	बीज वितरण सोयाबीन	अधिकतम रू. 1000/– प्रति क्विंटल
	स्प्रिंकलर	लघु/सीमांत कृषको 55% अनुदान
		अन्य कृषको को 45% अनुदान
	हस्तचलित नैपसेक स्प्रेयर पम्प	अजा/अजजा/लघु/सीमांत कृषको को लागत का 50% अधिकतम राषि रू. 800/– अनुदान, अन्य कृषको को लागत का 40% अधिकतम 6000/–
	शक्तिचलित स्प्रेयर पम्प	अजा/अजजा/लघु/सीमांत कृषको को लागत का 50% अधिकतम राषि रू. 3800/– अनुदान, अन्य कृषको को लागत का 40% अधिकतम 3000/–
	ब्लाक फसल प्रदर्शन सोयाबिन	लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम राशि रू. 6000/– प्रति हेक्टर अनुदान
	पाईप लाईन	लगत का 50 प्रतिषत अधिकतम राषि रू. 15000/– (35 रू. मीटर) अनुदान

Source :- Stitistical Survey of India.

मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना :–

मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों के लिए मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना की शुरूआत की है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को राज्य में कई जगहो का दौरा कराती है, इससे किसानों को खेती की नई तकनीक से रूबरू होने का मौदा मिलता है, राज्य सरकार इन

किसानों को देश के उन्नत कृषि तकनीकी संस्थान, कृषि महाविद्यालयों एवं कृषि शोध एवं अनुसंधान सस्थानों, कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा आयोजित प्रदर्शनी देखने का मौका भी उपलब्ध कराती है। योजना का उद्देश्य किसानो को खेती की नई तकनीक की जानकारी देना है।

इससे एक तरफ जहां कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद मिल रही है। वहीं किसानो की कमाई भी बढ़ रही है इस योजना से किसानो का सशक्तिकरण हो रहा है।

योजना	घटक	अनुदान दर
मुख्यमंत्री खेत तीर्थ योजना	कृषक भ्रमण	राज्य के बाहर कृषक भ्रमण 800/– प्रति दिन प्रति कृषक
		राज्य के बाहर कृषक भ्रमण 400/– प्रति दिन प्रति कृषक
		जिले के अंदर कृषक भ्रमण 300/– प्रति दिन प्रति कृषक

Source :- Stitistical Survey of India.

किसानों को चारगाह विकास, रेशम पालन, पशुपालन की उत्तम व्यवस्था, बीज पेदावार आदि की तकनीकी जानकारी दी जाती है। उन्हें सार्वजनिक उपक्रमों, गैर सरकारी संगठनों द्वारा संचालित क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान केन्द्र में जाने की सुविधा दी जाती है।

सुरजधारा योजना :–

यह योजना भी सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रचलित है। इसका उद्देष्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषको को अलाभकारी फसलों/किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलो / किस्मों के स्थान पर लाभकारी दलहनी / तिलहनी फसलो के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मो के बीज उपलब्ध कराना है।

बीज अदला बदली :–

कृषको द्वारा दिए गये अलाभकारी बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलो के उन्नत बीज 1 हेक्टर की सीमा तक प्रदाय किये जाते है। कृषको द्वारा दिये गये बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हेक्टर सीमा तक) प्रदाय किया जाता है अन्य फसल का बीज की वास्तविक कीमत का 25% मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।

योजना	घटक	अनुदान दर
सुरजधारा योजना	बीज अदला बदली	अजा/अजजा कृषक को प्रति हेक्टेयर 75% अधिकतम राशि रू. 1500/– अनुदान

Source :- Stitistical Survey of India.

राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम –

बायोगैस एक ज्वलनशील गैसीय मिश्रण है जिसे मुख्यतः घरेलु ईधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है बायोगैस संयंत्र लगाकर घर में ही एक अतिरिक्त ऊर्जा का भण्डार स्थापित किया जा सकता है। यह एक बहुत ही साधारण संयंत्र है जिसमें गोबर व अन्य वनस्पतिक पदार्थो को वायु की अनुपस्थिति में सड़ाकर गैस बनाई जाती है।

नवीन नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य छोटे आकार के घरेलु बायोगैस संयंत्रों के माध्यम से ग्रामीण परिवारों को खाना पकाने के लिए ईधन एवं खेती के लिए जैव खाद्य उपलब्धता करवाना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों एवं क्षेत्रों के लाभार्थियों को बायोगैस संयंत्र की स्थापना के लिए केन्द्रीय अनुदान दिया जाता है इस योजना का उद्देश्य ग्रामिण क्षेत्र में सस्ता, सुलभ व स्वच्छ ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना, कृषि के लिए बायोखाद उपलब्ध करना, लकड़ी हेतु जंगल की कटाई को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में रोशनी एवं पंपिंग के लिए वेकल्पिक सुविधा उपलब्ध करना। पर्यावरण संरक्षण आदि।

योजना	घटक	अनुदान दर
राष्ट्रीय बायोगैस एवं खाद्य प्रबंधन कार्यक्रम	बायोगैस	सामान्य कृषको को राषि रू. 12000/– अनुदान, राषि रू. 2500/– टापअप अनुदान, कुल अनुदान राषि रू. 14500/–
		अजा/अजजा राशि रू. 13000/– अनुदान राशि रू. 2500/– टापअप अनुदान, कुल अनुदान 15500/–

Source :- Stitistical Survey of India.

महिलाओं की भागीदारी योजना –

मध्यप्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत 2007–08 में कृषि में महिलाओं की भागीदारी योजना लागु की गई। इस योजना के अंतर्गत महिला कृषको को प्रशिक्षण के माध्यम से कम लागत की कृषि तकनिकी चुनने उसे समझने एवं अपनाने योग्य बनाने के लिए यह योजना संचालित है जिससे की महिला कृषको के जीवन स्तर में सुधार हो तथा उनमें निर्णय क्षमता का विकास हो सके।

महिलाओं के लिए बैंच मार्क सर्वे, तकनीकी प्रशिक्षण, स्व सहायता समूह गठन प्रशिक्षण, विशेष प्रशिक्षण एवं अंतर्जिला अध्ययन भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किये जाते है इस वर्ग की कृषक महिला इस हेतु पात्र है।

किसान मित्र प्रशिक्षण योजना –

चुने हुए किसानो को कृषि तकनीकी और योजनाओं के विशेष प्रशिक्षण दिये जाते है इन्हें कृषक मित्र के रूप में पहचान दी जाती है इन किसान मित्रो को क्षमता विकास कर विस्तार कार्यो में विभाग एवं कृषकों के बीच एक सीनीय कड़ी के रू॰ में उपयोग किया जाता है ग्रामिण स्तर पर कृषक एवं प्रसार तंत्र के बीच सम्बंध स्थापित करने की दृष्टि से कृषक मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में लागु किया गया है।

समस्याऐं –

- विभिन्न कृषि योजनाओं में हितग्राही चयन प्रक्रिया से उत्तरदाता संतुष्ट नहीं है। कई उत्तरदाता द्वारा अनेक बार आवेदन करने पर भी चयन नहीं हो पाता। जबकि वे योजना के लिए अधिक योग्य उम्मीदवार थे।
- अन्य योजनाओं के भांति कृषि विकास योजनाऐं भी राजनैतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार से प्रभावित है।
- कृषि योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रो में होने के कारण ऋण देने व उसे वसुलने की समस्या है, जिसके कारण पर्याप्त ऋण वसूली नहीं होने पर ऋण की किस्त का समय पर भुगतान नहीं हो पाता।
- कृषि विकास एवं अनुदान योजनाओं की असफलता में अशिक्षा, सामाजिक पारम्परिक विचारधारा, महिलाओं के लिए पर्दाप्रथा आदि के कारण कृषि विकास सम्बंधित योजना का लाभ नहीं मिल पाता है।

सुझाव :–

- कृषि विकास योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया एवं कागजी कार्यवाही एक कम शिक्षित व्यक्ति के लिए कठिनाई है अतः औपचारिकताओं की पूर्ति के लिए दस्तावेजो का संकलन विभाग द्वारा किया जाना चाहिए।
- कृषि अनुदान योजनाओं में हितग्राही चयन प्रक्रिया को सरल एवं मिव्ययी बनाया जाना चाहिए।
- कृषि विकास एवं अनुदान योजनाओं की सफलता के लिए अनुदान की राशि में वृद्धि करनी चाहिए।
- कृषि सम्बंधी विकास एवं अनुदान योजनाओं में हितग्राही अनुदान की पात्रता प्राप्त कर लेते है उन्हें निर्धारित अवधि में अनुदान राषि का भुगतान किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष :–

भारतीय कृषि को सक्षम और लाभदायक बनाना है तो सीमांत और छोटे किसानों की स्थिति सुधारने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। बढ़ती जनसंख्या के कारण घटते आकार के जौतो पर यदि खाद्यान्नो की खेती ही होती रही तो भारतीय किसानों का भविष्य अंधकारमय है। इस प्रकार एक व्यक्ति के हिस्से में औसतम आधा हेक्टेयर से भी कम भूमि आती है। किसानो को कृषि तकनीकी एवं पद्धति में परिवर्तन करना चाहिए और खाद्यानो के स्थान पर कीमती फसले उगाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इससे कृषको की आय में वृद्धि होगी और इसके साथ पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी।

संदर्भ सूची :–

- उपसंचालक कृषि विकास एवं कृषि कल्याण विभाग
- जिला सांख्यिकी पुस्तिका, वर्ष 2013–18, जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय देवास
- M.P.Krishi.com